

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम	तारीख
	<p>सं. 30/15 तारीख 27.5.15</p> <p>उक्त - धन इयात बनाम <del>बेमिंदगी</del></p> <p>दाका बाबत - घोषणा स्वतंत्रदारी एवं स्थायी विवेधाज्ञा</p> <p>बादी की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा A.O. ने दाका बाबत घोषणा स्वतंत्रदारी एवं स्थायी विवेधाज्ञा पेश किया। परन्तु दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर पुत्रिकाओं को जरिये सम्मन से तलब कर प्रतावली दिनांक 27-5-15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उप जिला कलेक्टर</b> टोडाभीम (कराकोट)</p>	<p>10/6-17</p> <p>15.5.15</p>
7/15	<p>बादी वकील उपरोक्त दफ्तर लखनऊ से नाफिल प्राप्ति हुई। वदन्तज्ञा नाफिल दिनांक 24-6-15 को पेश हो।</p>	
9/15	<p>प्रतावली निम्नरूप पेशी से पेश हुई। लक्ष्मण उपस्थित, प्रसाधन मीठिया में काली पंचोद है। गताभुमार दिनांक 2-9-15 को पेश हो। पुनश्च पुत्रिका नं. 1 लगाए 5 की विधि पर बाध है। पुत्रिका नं. 6 एवं 7 की लागत नोबिल बाध नहीं हुई है। काली काशीमादि दिनांक 2-9-15 को पेश हो।</p>	

8

पेशी

कालीमादि

कालीमादि

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
2.5.16	<p>बकलाय 30/ साक्ष पेश कान पुन: एक शौक्य                      डों-चाहा/ नपाय हित में एक शौक्य दिवा जाल                      के दिनांक 5.7.16 को पेश हो।</p>
23.6.16	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत-याप आपके                      डाक केस कोर्ट भंडारी अदालत में दिनांक                      23.6.16 को पेश हो।</p>
<p>23.6.16                      न्यायिक                      निपटारा                      निपटारा</p>	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत-याप                      आपके डाक केस कोर्ट भंडारी अदालत                      में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण                      3 उपस्थित हुए। उपस्थित होकर राजीनामा                      पेश किया कि पक्षकारों के मध्य                      राजीनामा हो चुका है हम मुकदमा                      छोड़ देंगे लड़ना नहीं चाहते हैं। हमारा                      मुकदमा खारिज कर दिया जावे। पक्षकारों                      के मध्य राजीनामा हो जाने तथा मुकदमा                      छोड़ नही चलाने के कारण दावा वादीगण                      खारिज किया जाता है। फर्द डिक्री जारी                      हो। निर्णय की प्रती जायब तहसीलदार                      बालधात। उप पंजीयक बालधात को दी जा                      पत्रावली फैलान शुमा लोक न्याय से कम                      होकर दाखिल दफ्त हो।</p>

उपजिला कलेक्टर  
 सहायक (करोली)